

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

गजेंद्र सिंह बनाम मागमल आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 203/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं0 1 का ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं0 251/257 के खासरा सं0 73 की 1.630 हे०, खासरा सं0 101 की 10.231 हे०, खासरा सं0 227/1 की 6.349 हे० कुल 17.743 हे० वारिसी खातेदारी लुबि मुक्ति में प्रतिवादी सं0 मागमल के माप से 1/5 हिस्सा राजस रिकार्ड में दर्ज है मुझे प्रतिवादी सं0 मागमल के बजाए वादी गजेंद्र सिंह व प्रतिवादी सं0 मागमल व प्रतिवादी सं0 2 मांगीलाल के बहिस्सा वसंवर के खातेदार का इलाका घोषित किया जाते है मुझे प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना समूची हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर चुका कर लिया है उल्लेखित त्याग किने गये हिस्से पर पंजीयन विलाग का दैन पंजीयन मुक्त आया करने व यदि लुबि मुक्ति बैंक के खाते में रखे जा तो रखे मुक्त होने के उपरान्त ही राजस रिकार्ड में अपने दरमद किया जाये व पंजीयन का डिक्री का माग पत्र पंजी

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा जिला प्रशासनिक - 2021
Chopra S